निःशुल्क प्रकाशनार्थ

प्रेस विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य सरकार द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने हेतु शासन से निर्गत संशोधित समय–सारिणी निम्नवत है:–

क्र0सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	पूर्व समयावधि दशमोत्तर कक्षाओं हेतु 2021–22	संशोधित समयावधि दशमोत्तर कक्षाओं हेतु 2021–22
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंको को मिलाते हुये) पाठ्यक्रमवार एफलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	18 अगस्त 2021 तक	**17 सितम्बर 2021 से 27 सितम्बर 2021 तक**
2	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को आनलाइन सत्यापित करना।	19 अगस्त 2021 से 16 सितम्बर 2021 तक	**28 सितम्बर 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक**
2ए	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं अंकित फीस आदि की प्रमाणिकता को सम्बन्धित शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा आनलाइन सत्यापित करना।	17 सितम्बर, 2021 से 05 अक्टूबर 2021 तक	**12 अक्टूबर 2021 से 29 अक्टूबर 2021 तक**

अतः समस्त सम्बन्धित को पुनः अनुस्मारित कराते हुये सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संशोधित समय–सारिणी का अपने स्तर से प्रचार–प्रसार कराते हुये शासन की मंशा के अनुरूप समयान्तर्गत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(विकास)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर

पत्रांक 209 /पि0व0क0/छात्रवृत्ति/समय–सारिणी/2021–22 दिनांक 20 सितम्बर, 2021

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
3. [illegible]